छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in **Website:-https://rera.cgstate.gov.in**

क्रमांक–09 / रेरा / 2018 / 232 रायपुर, दिनांक 11 / 05 / 2018

/ / परिपत्र / /

विषय :– **दिनांक 01 मई, 2017 के बाद पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु इंजिनियर व आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट्स शिथिल करने बाबत्।**

-----00------

भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के परन्तुक में वर्णित प्रावधानों के अनुसार–ऐसे प्रोजेक्ट्स, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि अर्थात् दिनांक 01 मई, 2017 को ऑनगोईंग थे और जिनके कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था, उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करना अनिवार्य है।

विभिन्न माध्यमों से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आए हैं कि कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जिनमें दिनांक 01 मई, 2017 के पश्चात् पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी हुए हैं, किंतु अधिनियम में वर्णित उपरोक्त प्रावधानों के कारण इनका रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उपरोक्त श्रेणी के प्रोजेक्ट्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के कारण ऐसे प्रोजेक्ट्स की प्रगति व पूर्णता की प्रतिशत को प्रमाणित करने हेतु पृथक से इंजिनियर व आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में सुगमता के दृष्टिकोण से भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवल इन श्रेणियों के प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्रेशन हेतु इंजिनियर व आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट्स प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए इन्हें वैकल्पिक किया जाता है, किंतु इन श्रेणियों के प्रोजेक्ट्स में भी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत की अवधारणा हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

11/05/18
(अजय कुमार अग्रवाल)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.